निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र 1935 (श0)
(सं0 पटना 708)   पटना, सोमवार, 9 सितम्बर 2013

विधि विभाग

अधिसूचना

9 सितम्बर 2013

सं0 एल0जी0–1–11/2013/लेज:173—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल **दिनांक 01 सितम्बर,** 2013 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उज्ज्वल कुमार दूबे,

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013

[बिहार अधिनियम 20, 2013]

उच्चतर शिक्षा प्रदान करने हेतु बिहार राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना व निगमन के लिए उपबंध करना तथा उनके कृत्यों और उनसे जुड़े या उनके आनुषंगिक मामलों को विनियमित करने हेतु अधिनियम।

प्रस्तावना।- चूँकि, उच्चतर शिक्षा प्रदान करने हेतु बिहार राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना व निगमन करना, तथा उनके कृत्यों तथा उनसे जुड़े या उनके आनुषंगिक मामलों को विनियमित करने के लिए उपबंध करना आवश्यक है;

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। - (1)यह अधिनियम बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2 परिभाषाएँ।- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क)''ए०आई०सी०टी०ई०" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्;

(ख)बी०बी०ओ०एस०ई०" से अभिप्रेत है बिहार खुला विद्यालय शिक्षा और परीक्षा बोर्ड;

(ग) "सी०एस०आई०आर०" से अभिप्रेत है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, जो भारत सरकार की निधि प्रदाता एजेंसी है;

(घ) "डी०ई०सी०" से अभिप्रेत है इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा-28 के अधीन स्थापित दूरस्थ शिक्षा परिषद् एवं नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, बिहार;

(ड.) "दूरस्थ शिक्षा'' से अभिप्रेत है संवाद (संचार) के किन्हीं दो या अधिक माध्यमों, यथा प्रसारण, टेलीकास्टिंग, सेमिनार, पत्राचार पाठ्यक्रमों, संपर्क कार्यक्रमों तथा ऐसी किसी अन्य पद्धति, के संयोजन से दी जानेवाली शिक्षा;

(च) "डी०एस०टी०'' से अभिप्रेत है भारत सरकार का विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग;

(छ) ''कर्मचारी'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों, संस्थानों या अध्ययन केन्द्रों में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति और इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक, पदाधिकारी (विजिटर को छोड़कर) और अन्य कर्मचारीगण शामिल हैं;

(ज) ''फीस'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से, जिस किसी भी रूप में, संग्रहित ऐसी राशि जो कि वापस करने योग्य न हो;

(झ)"सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ञ)"उच्च शिक्षा" से अभिप्रेत है 10+2 स्तर से ऊपर का ज्ञान देने के लिए पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का अध्ययन;

(ट)"छात्रावास" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इसके महाविद्यालय, संस्थान एवं उनके केन्द्र के छात्र एवं छात्राओं का

निवास ;

(ठ) "आई०सी०ए०आर०" से अभिप्रेत है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक सोसाइटी है;

(ड)"एम०सी०आई०" से अभिप्रेत है मेडिकल काउन्सिल ऑफ इन्डिया, दिल्ली;

(ढ)"एन०ए०ए०सी०" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, बेंगलूर;

(ण)"एन०सी०टी०ई०" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, दिल्ली;

(त)" वाह्य परिसर केन्द्र" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का ऐसा केन्द्र जो इसके द्वारा मुख्य परिसर से बाहर स्थापित हो और जो इसकी अंगीभूत इकाई के रूप में संचालित एवं अनुरक्षित हो तथा जिसमें विश्वविद्यालय की अनुपूरक सुविधाएं, संकाय एवं कर्मचारी हों;

(थ)"पी०सी०आई०" से अभिप्रेत है भारतीय औषधीय परिषद्, दिल्ली;

(द)"विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली द्वारा विहित;

(ध)"विनियमन निकाय" से अभिप्रेत है उच्चतर शिक्षा में अकादमिक स्तर सुनिश्चित करने हेतु मानकों एवं शर्त्तों को विनिर्धारित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय, यथा-यू०जी०सी०, ए०आई०सी०टी०ई०, एन०सी०टी०ई०, एम०सी०आई०, एन०ए०ए०सी०, आई०सी०ए०आर०, डी०ई०सी०, सी०एस०आई०आर०, आदि और इसमें राज्य सरकार भी शामिल है;

(न)"नियमावली" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली;

(प)"अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की अनुसूची ;

(फ) इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के संबंध में "प्रायोजक निकाय" से अभिप्रेत है-

(I)सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या

(II) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई लोक न्यास;

(ब)"परिनियम", "अध्यादेश" एवं "विनियम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम;

(भ)"विश्वविद्यालय का छात्र" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से संस्थित डिग्री, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक उपाधि, जिसमें शोध की डिग्री भी शामिल है, के पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति;

(म)''अध्ययन केन्द्र'' से अभिप्रेत है दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों द्वारा अपेक्षित सलाह, परामर्श या कोई अन्य सहायता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त केन्द्र;

(य)"शिक्षक" से अभिप्रेत है प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति जिससे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा

देने शोध कार्य में मार्गदर्शन करने या किसी अन्य रूप में मार्गदर्शन प्रदान करने की अपेक्षा हो और जिसे इस अधिनियम के अधीन उस रूप में पदाभिहित किया गया हो;

(र)"यू०जी०सी०" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(ल)"निजी विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है धारा-6 के अधीन स्थापित और निगमित विश्वविद्यालय।

3 विश्वविद्यालय के उद्देश्य।- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, यथा-

(1)उच्चतर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा शोध, अभिवृद्धि एवं ज्ञान का प्रसार का उपबंध करना;

(2)बौद्धिक क्षमता का उच्चतर स्तर सृजित करना;

(3)शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएँ स्थापित करना;

(4)अध्यापन एवं शोध कार्य करना तथा सतत् शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करना;

(5)शोध और विकास तथा ज्ञान के आदान-प्रदान एवं इसके अनुप्रयोग के लिए केन्द्रों की स्थापना करना;

(6)बिहार में परिसर (कैंपस) स्थापित करना एवं अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर अध्ययन केन्द्रों की व्यवस्था करना;

(7)परीक्षा केन्द्रों की स्थापना करना;

(8)परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ संस्थित करना;

(9)यह सुनिश्चित करना कि डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट का स्तर ए०आई०सी०टी०सी०, एन०सी०टी०ई०, यू०जी०सी०, एम०सी०आई०, औषध परिषद् तथा शिक्षा के विनियमन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित इसी प्रकार की अन्य एजेन्सी/एजेंसियों द्वारा विनिर्धारित स्तरों से निम्नतर न हो;

(10)अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत अध्ययन केन्द्र खोलना;

(11)संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन नियामक निकायों की अनुमति तथा नियामक निकायों द्वारा बनाए गए किसी विनियमन, नियमावली आदि के अध्यधीन, राज्य के भीतर और बाहर परिसर बाह्य केन्द्र स्थापित करना;

(12) सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना।

4 विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण तथा इसका मूल्यांकन।-(1) निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव एवं परियोजना रिपोर्ट के साथ आवेदन प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य सरकार को दिया जाएगा और उसके साथ यथा विहित फीस

दी जाएगी;

(2) परियोजना रिपोर्ट में निम्नलिखित विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी, यथा:-

(क) प्रायोजक निकाय का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, संविधान एवं उपविधि के साथ-साथ उसके ब्यौरे;

(ख) प्रायोजक निकाय के पिछले तीन वर्षों का अंकेक्षित लेखा के साथ उसके वित्तीय संसाधनों के बारे में जानकारी;

(ग) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम, स्थान और मुख्यालय;

(घ) विश्वविद्यालय के उद्देश्य;

(ड़)यदि पहले से ही विद्यमान हो तो भूमि की उपलब्धता, भवनों के ब्यौरे तथा आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएँ और इस अधिनियम के अधीन यथापेक्षित स्वामित्व में ली जानेवाली या सृजित की जानेवाली प्रस्तावित भूमि, भवन और अन्य आधारभूत संरचना के ब्यौरे;

(च)शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय कर्मचारियों, यदि कोई हो, सहित प्रायोजक निकाय के अन्तर्गत अकादमिक सुविधाओं की उपलब्धता;

(छ)विश्वविद्यालय का कार्य आरंभ होने के पूर्व तथा प्रथम पाँच वर्षों में चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत परिसर विकास, यथा-भवनों का निर्माण, ढांचागत सुविधाओं तथा आधारभूत संरचना का विकास और उपकरणों की उपाप्ति आदि, के लिए ली जानेवाली योजनाओं के ब्यौरे;

(ज) सुविधाओं का स्वरूप, प्रारंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं शोध;

(झ) प्रायोजक निकाय के समादेशाधीन संबद्ध विषयों में अनुभव और विशेषज्ञता;

(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले प्रस्तावित अध्ययन और शोध कार्यक्रमों का स्वरूप और प्रकार तथा विकास के लक्ष्यों और राज्य की नियोजन आवश्यकताओं के प्रति उनकी सुसंगति एवं पाठ्यक्रमवार नामांकन लक्ष्यों के साथ प्रथम पाँच वर्षों के दौरान ऐसे कार्यक्रमों को चरणबद्ध करना;

(ट) अगले पाँच वर्षो में प्रस्तावित पूँजीगत व्यय का चरणबद्ध परिव्यय तथा इसका वित्तीय स्त्रोत;

(ठ) संसाधनों को जुटाने के लिए स्कीम और उसके लिए पूँजीगत लागत तथा ऐसे संसाधनों के पुनर्भुगतान का तरीका;

(ड) निधि जुटाने की स्कीम;

(ढ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए अपनायी जानेवाली प्रस्तावित प्रणाली;

(ण) विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अपनायी

जानेवाली प्रस्तावित प्रणाली;

(त) क्या विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए इच्छुक है? यदि ऐसा है तो प्रारंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित अध्ययन केन्द्रों का ब्यौरा;

(थ) क्या विश्वविद्यालय स्थानीय आवश्यकताओं से संबंधित कुछ कार्यक्रमों को लेने का प्रस्ताव करता है? यदि हाँ, तो इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किए जानेवाले विशेष अध्यापन, प्रशिक्षण या शोध क्रियाकलापों का स्वरूप;

(द) क्या विश्वविद्यालय का किसानों, महिलाओं एवं उद्योगों के लाभ के लिए कुछ कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करता है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दिया जा सकेगा;

(ध) खेल एवं क्रीड़ा तथा पाठ्येतर क्रिया-कलापों यथा राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा स्कीम, स्काउट एवं गाइड्स आदि, के लिए उपलब्ध या सृजित किए जाने हेतु प्रस्तावित खेल के मैदानों एवं अन्य सुविधाओं के ब्यौरे;

(न) अकादमिक अंकेक्षण के लिए की जानेवाली प्रस्तावित व्यवस्था;

(प) विनियामक निकायों के मानदंडो को पालन करने की प्रतिबद्धता;

(फ) ऐसे अन्य ब्यौरे जो प्रायोजक निकाय देना चाहे;

(ब) यथा विहित अन्य ब्यौरे;

(भ) छात्रों के नामांकन एवं शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियों में बिहार सरकार की आरक्षण नीति का पालन करने की प्रतिबद्धता।

(3) विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव और परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शिक्षा विभाग प्रस्ताव और परियोजना रिपोर्ट की जाँच करने के लिए निम्नलिखित को मिलाकर एक समिति बनाएगी:-

(i) राज्य के किसी विश्वविद्यालय के एक कुलपति,

(ii) एक विशेषज्ञ जो किसी विश्वविद्यालय में कम-कम पाँच वर्ष तक आचार्य के पद का अनुभव रखते हों, एवं

(iii) एक ऐसा वित्त सदस्य जिन्हें लोक वित्त, सांस्थित वित्त, सरकारी लेखा या व्यवसायिक लेखा में पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त हो ।

(4)समिति परियोजना रिपोर्ट एवं प्रस्ताव को निम्नलिखित आधारों पर विचार करेगी, यथा:-

(क) प्रायोजक निकाय की आर्थिक सुदृढ़ता तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना खड़ा करने में उसकी क्षमता;

(ख) प्रायोजक निकाय की पृष्ठभूमि अर्थात् शिक्षा के क्षेत्र में उसकी विशेज्ञता एवं अनुभव, उसकी सामान्य ख्याति आदि तथा विनियामक निकायों के मानदंडों को पालन

करने की उसकी प्रतिबद्धता;

(ग) उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की संभाव्यता, अर्थात् पाठ्यक्रम समसामयिक मांगों की अपेक्षाओं के अनुसार मानव संसाधनों को विकसित करने में समर्थ हो, पाठ्यक्रम में नई-नई विशेषताएं (फीचर) हों और शिक्षा (लर्निंग) की उभरती शाखाएं भी सम्मिलित हों;

(5) उप-धारा (4) के अधीन प्रस्ताव एवं परियोजना रिपोर्ट पर विचार करते समय समिति प्रायोजक निकाय से ऐसे अन्य विवरण की मांग कर सकेगी जो उसे इस प्रयोजनार्थ यथोचित लगे।

(6) समिति अपनी रिपोर्ट अपने गठन की तारीख से एक माह के भीतर शिक्षा विभाग को देगी:

परन्तु, एक माह की अवधि की गणना करने में उपधारा (5) के अधीन किसी जानकारी की अध्यपेक्षा जारी किए जाने की तारीख से प्रारंभ होने वाली तथा अध्यपेक्षित जानकारी समिति को समर्पित की जानेवाली तारीख को समाप्त होने वाली अवधि का अपवर्जन किया जायगा।

5 आशय-पत्र जारी करना तथा अनुपालन प्रतिवेदन (रिपोर्ट)।- (1) धारा-4 के अधीन गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद, यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय स्थापित करना वांछनीय है तो वह आशय पत्र जारी कर सकेगी और प्रायोजक निकाय से कहेगी कि वह:-

(i) इस अधिनियम की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार अक्षयनिधि स्थापित करे;

(ii) यदि पहले से उपलब्ध न हो तो नगरपालिका क्षेत्र के बाहर कम से कम 10 एकड़ जमीन या नगरपालिका क्षेत्र के भीतर 5 एकड़ भूमि अपने स्वामित्व में ले;

(iii)यदि पहले से उपलब्ध न हो तो प्रशासनिक प्रयोजनार्थ तथा अकादमिक कार्यक्रमों के संचालन करने के लिए न्यूनतम 10,000 वर्गमीटर आच्छादित स्थान का निर्माण करे;

(iv) कम से कम 10 लाख रुपये की या नियामक निकायों के मानकों के अनुसार जो भी उच्चतर हो, पुस्तकों और जर्नल का क्रय करे और यह वचनबद्धता दे कि प्रथम तीन वर्षों के अन्तर्गत न्यूनतम 50 लाख रुपये या नियामक निकायों के मानकों के अनुसार, जो भी अधिक हो, पुस्तकों, जर्नल, कम्प्यूटर, पुस्तकालय, नेटवर्किंग तथा अन्य सुविधाओं पर निवेश करेगा ताकि समकालीन शिक्षा एवं शोध के लिए पुस्तकालय सुविधायें पर्याप्त हो जाएँ;

(v) 20 लाख रुपये या नियामक निकायों के मानकों के अनुसार, जो भी अधिक हो, उपकरण, कम्प्यूटर, फर्नीचर एवं अन्य चल एवं अचल आस्तियों तथा आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं (ऊपर खंड (iii) में निर्दिष्ट भवनों से भिन्न) का क्रय करे, न्यूनतम एक करोड़ रुपये के या नियामक निकायों के मानकों के अनुसार, जो भी अधिक हो, उपकरण, कम्प्यूटर, फर्नीचर, अन्य चल एवं अचल आस्तियाँ और आधारभूत

संरचनात्मक सुविधाएं (ऊपर खंड (iii) में निर्दिष्ट से भिन्न) उपाप्त कर लेगा;

(vi) यह वचनबद्धता करे कि विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए जाने वाले हरेक विभाग या विषय में आवश्यक सहायक कर्मचारियों के साथ-साथ कम-से-कम एक प्राध्यापक, दो सह-प्राध्यापक और पर्याप्त संख्या में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति करेगा;

(vii) यह वचनबद्धता करे कि नियामक निकायों के मानकों के अनुसार छात्रों के लाभार्थ पाठ्यक्रम से सहबद्ध क्रियाकलापों, यथा-सेमिनार, वाद-विवाद, क्विज कार्यक्रम तथा पाठ्येतर क्रिया-कलापों, यथा-खेल, क्रीड़ा, राष्ट्रीय सेवा कोर, राष्ट्रीय सेवा स्कीम, स्काउट एवं गाइड्स आदि की सुविधाएँ प्रदान करेगा;

(viii) यह वचनबद्धता करे कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना करेगा और कल्याणकारी कार्यक्रमों को अपनाएगा; और

(ix) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या संघ सरकार या राज्य सरकार की किसी विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा यथाविहित शर्त्तों की पूर्त्ति करेगा तथा यथाविहित अन्य जानकारी उपलब्ध कराएगा।

(2) प्रायोजक निकाय उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं एवं शर्तों को पूरा करेगा तथा आशय-पत्र जारी किऐ जाने की तारीख से अधिकतम दो वर्षों के भीतर राज्य सरकार को अनुपालन प्रतिवेदन देगा ।

(3) यदि प्रायोजक निकाय उप धारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहा हो तो धारा-4 के अधीन प्रस्तुत किया गया उसका प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाएगा और उपधारा (1) के अधीन उसे जारी किया गया आशय-पत्र वापस लिया गया माना जायगा ।

6 विश्वविद्यालय की स्थापना।- धारा-5 की उपधारा (2) के अंतर्गत समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन के विचारोपरान्त यदि सरकार का समाधान हो जाय कि प्रायोजक निकाय ने धारा-5 की उपधारा (1) के प्रावधानों का अनुपालन किया है तो राजकीय गजट में अधिसूचना प्रकाशित कर एक निजी विश्वविद्यालय को यथा नाम, स्थान, क्षेत्राधिकार, जो अनुसूची में वर्णित हो, से कार्य करने की अनुमति प्रदान करेगी।

7 विश्वविद्यालय का निगमन।- धारा-6 के अधीन स्थापित हरेक विश्वविद्यालय अधिनियम की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट नाम से निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर (सील) होगी । उसे चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं उस पर वाद चलाया जा सकेगा ।

8 विश्वविद्यालय स्वयं वित्त पोषित होगी।- विश्वविद्यालय स्वयं वित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

9 भूमि की आवश्यकता।- कोई भी विश्वविद्यालय तब तक स्थापित नहीं होगा जब तक प्रायोजक निकाय के कब्जे में

(I)- नगरपालिका क्षेत्र के बाहर कम-से-कम 10 एकड़ भूमि न हो, अथवा

(II)- निगम क्षेत्र के अन्दर कम से कम 5 एकड़ भूमि न हो।

10 किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान को संबद्धीकरण की शक्ति का अभाव।- विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान को संबद्धता प्रदान करने का कार्य नहीं करेगा:

परन्तु विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों, यथा-चिकित्सा विज्ञान, दंत विज्ञान, आभियांत्रिकी इत्यादि में अपना संकाय/विभाग/स्कूल की स्थापना करने में सक्षम होगा ।

11 सहायतार्थ निधि।- (1) प्रायोजक निकाय विश्वविद्यालय हेतु कम से कम 1 (एक) करोड़ रूपये की राशि की एक सहायतार्थ निधि स्थापित करेगा ।

(2) इस सहायतार्थ निधि का उपयोग सुरक्षा जमा के रूप में विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने एवं इस अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश के अनुसार कार्य करने को सुनिश्चित करने हेतु किया जायगा। सरकार के पास सहायतार्थ निधि को पूर्णत: या अंशत: जब्त करने की शक्ति होगी यदि विश्वविद्यालय अथवा प्रायोजक निकाय इस अधिनियम, अथवा इसके अंतर्गत बनाये गये परिनियम, अध्यादेश या नियम का उल्लंघन करता है।

(3) इस सहायतार्थ निधि से प्राप्त आय का उपयोग विश्वविद्यालय के आधारभूत ढांचा के विकास के लिए होगा किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्त्ती व्यय के लिए नहीं होगा।

(4) इस सहायतार्थ निधि की राशि का निवेश एवं दीर्घकालीन निवेश राज्य सरकार द्वारा निर्गत लम्बी अवधि की प्रतिभूति एवं गारंटी में तब तक किया जायेगा जब तक विश्वविद्यालय का विघटन नहीं होता है **या** सरकार के कोषागार में जमा सूद प्राप्त करने वाले व्यक्तिगत जमा खाता में तब तक होगा या होता रहेगा जब तक कि विश्वविद्यालय का विघटन नहीं हो जाता है।

(5) लम्बी अवधि की प्रतिभूति में निवेश के मामले में प्रतिभूति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा और सरकार के कोषागार में व्यक्तिगत जमा खाते में सूद प्राप्त होने वाले जमा को इस शर्त्त के साथ जमा किया जायेगा कि राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना उसकी निकासी नहीं की जायगी।

12 सामान्य निधि।- प्रत्येक विश्वविद्यालय एक निधि की स्थापना करेगा जिसे सामान्य निधि कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे:-

(क)विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस एवं अन्य शुल्क;

(ख)प्रायोजक निकाय द्वारा दिया गया अंशदान;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्य-प्राप्ति के क्रम में परामर्श अथवा अन्य कार्य सम्पादन से प्राप्त आय;

(घ) न्यास, विरासत, दान, सहायता राशि एवं अन्य अनुदान; और

(ड.) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशि।

13 सामान्य निधि का उपयोग।- सामान्य निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए होगा; यथा

(क) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये परिनियम, अध्यादेश, नियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ब्याज सहित कर्ज की वापसी के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय के आस्तियों को अनुरक्षित रखना;

(ग) विश्वविद्यालय के निधि को समृद्ध करने हेतु धारा-11 एवं 12 के अधीन सृजित निधि के लेखा के व्यय भुगतान हेतु;

(घ) किसी मुकदमे या कार्रवाई के व्यय भार हेतु, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार हो;

(ड.) विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों और शिक्षक सदस्य एवं अनुसंधान कर्मी के वेतन एवं अन्य भत्ता के भुगतान हेतु और ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारियों और शिक्षक सदस्य एवं अनुसंधान कर्मी के भविष्य निधि के अंशदान, ग्रेच्यूटी, और अन्य सुविधाओं के भुगतान हेतु;

(च) शासी निकाय, प्रबंधन समिति एवं विद्वत परिषद् या अन्य प्राधिकार, जो विश्वविद्यालय के परिनियम के द्वारा घोषित हो या किसी प्राधिकार द्वारा प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष या कुलपति द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य हो, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये परिनियम, अध्यादेश, नियम के अनुपालन हेतु, जैसा विषय हो, के यात्रा-भत्ता एवं अन्य भत्ता के भुगतान हेतु;

(छ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों या अनुसंधान सहायक या प्रशिक्षु या अन्य किसी विद्यार्थी, जो इस अधिनियम के परिनियम, अध्यादेश, नियम के अन्तर्गत इस तरह के पुरस्कार के पात्र हों, की शोधवृत्ति, फीस माफी, विद्वतवृत्ति, छात्रवृत्ति, सहयोगवृत्ति अथवा अन्य पुरस्कार के भुगतान हेतु;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियम, अध्यादेश, नियम, उपनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उपगत व्यय के भुगतान हेतु;

(झ) प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना पर किये गये व्यय एवं निवेश की पूँजी के मूल्य के भुगतान हेतु, जो बैंक द्वारा प्रचलित सूद के दर से अनधिक हो;

(ञ) इस अधिनियम के प्रावधान एवं उसके अधीन बनाये गये नियम, परिनियम, अध्यादेश के अधीन परामर्श कार्य पर विश्वविद्यालय द्वारा उपगत व्यय भार के भुगतान हेतु;

(ट) सेवा फीस सहित किसी अन्य व्यय, जो कि वैसे संगठनों को देय हो, जो विश्वविद्यालय के प्रायोजक निकाय की ओर से प्रबंधन निकाय के द्वारा अनुमोदित किसी विशिष्ट सेवा, जिसमें प्रबंधन सेवा भी शामिल है, के भुगतान हेतु:

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा किसी वर्ष के कुल आवर्ती या अनावर्ती व्यय की सीमा, जो प्रबंध पर्षद् द्वारा निर्धारित हो, से अधिक कोई भी व्यय बिना प्रबंधन पर्षद् के पूर्वानुमति के नहीं होगा

परंतु और कि ऊपर के सामान्य निधि का उपयोग खण्ड-(क) में वर्णित उद्देश्यों हेतु विश्वविद्यालय शासी निकाय की पूर्वानुमति से ही किया जा सकेगा ।

14 विश्वविद्यालय के अधिकारी।- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

(1) कुलाध्यक्ष;

(2) कुलाधिपति;

(3) कुलपति;

(4) कुलसचिव;

(5) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी;

(6) परिनियम द्वारा यथा घोषित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी।

15 कुलाध्यक्ष।- (1) एक ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद् या लम्बी अवधि का प्रशासनिक अनुभव या सामाजिक कार्य में अभिज्ञप्त व्यक्ति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा। कुलाध्यक्ष की नियुक्ति प्रायोजक निकाय करेगी।

(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों तो डिग्री, डिप्लोमा प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, यथा :-

(क) विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों से संबंधित किसी भी कागजात या सूचना को मांगने;

(ख) प्राप्त सूचना के आधार पर कुलाध्यक्ष, यदि उनका यह समाधाान हो जाय कि कोई भी आदेश कार्यवाही या निर्णय विश्वविद्यालय के प्राधिकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधान या उसके अधीन बनाये गये परिनियम,अध्यादेश, विनियम और नियम के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसा निदेश जारी कर सकेगा जिसे विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे और उसके निदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

16 कुलाधिपति।- (1) कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजक निकाय द्वारा कुलाध्यक्ष की सहमति से तीन वर्ष के लिए परिनियम द्वारा यथाविहित प्रक्रिया अपनाकर और निर्बंधन एवं शर्तो पर होगी।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(3) कुलाधिपति शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करेगा और, कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(4) कुलाधिपति को निम्नलिखित शक्तियाँ होगीं, यथा-

(क) किसी भी सूचना या दस्तावेज को मांगने;

(ख) कुलपति की नियुक्ति;

(ग) धारा-17 की उपधारा (7) के प्रावधानों के अनुसार कुलपति को हटाने;

(घ) ऐसी अन्य शक्ति जो परिनियम द्वारा निर्धारित हो ।

17 कुलपति।- (1) कुलाधिपति द्वारा कुलपति की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा अनुशंसित तीन व्यक्ति की सूची में से उपधारा(7) के प्रावधानों के अनुसार तीन वर्ष के लिए की जायेगी:

परन्तु तीन वर्ष की अवधि के समापन के उपरान्त कोई व्यक्ति तीन वर्ष की अगली अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य होगा:

परन्तु और कि कुलपति अपने कार्य अवधि के समापन के बाद भी नये कुलपति के योगदान तक पदधारित करेगा लेकिन यह अवधि किसी भी परिस्थिति में पुनर्नियुक्ति से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक पदाधिकारी होगा और उसे विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों और सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण का अधिकार होगा तथा वह विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकार के निर्णयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) कुलाध्यक्ष एवं कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(4) यदि कुलपति की राय में यह आवश्यक हो कि किसी ऐसे मामले, जिसके लिए इस अधिनियम के द्वारा किसी अन्य प्राधिकार को शक्ति प्रदत्त है, में तत्काल कारवाई करने की आवश्यकता है, तो वह ऐसी कारवाई कर सकेगा, जो आवश्यक प्रतीत हो और उसके उपरान्त यथा-संभव सर्वप्रथम अवसर पर उस प्राधिकार या पदाधिकारी को अपना प्रतिवेदन भेजेगा जो सामान्यत: उस कार्य को निष्पादित करता:

परन्तु यदि संबद्ध अधिकारी या प्राधिकार के विचार से कुलपति द्वारा ऐसी कारवाई नहीं की जानी चाहिए थी वैसी स्थिति में वह कुलाधिपति को ऐसा मामला निर्दिष्ट करेगा जिस पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा:

परन्तु और कि कुलपति के ऐसे किसी निर्णय से विश्वविद्यालय की सेवा में कोई व्यक्ति प्रभावित होता है तो वह उक्त कारवाई की सूचना के तीन माह के अंदर प्रबंधन परिषद् को अपील कर सकेगा और प्रबंधन परिषद् कुलपति के उस निर्णय को संपुष्ट, संशोधित या रद्द कर सकेगा।

(5) यदि कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के प्राधिकार के द्वारा कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, विनियम या नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के बाहर हो या विश्वविद्यालय के हितों के विपरीत हो तो वह संबद्ध प्राधिकार को निर्णय के 15 दिनों के अंदर निर्णय को सुधारने का आग्रह कर सकेगा और यदि वैसे मामले में प्राधिकार अपने निर्णय को सुधार करने से इन्कार करता है या 15 दिनों के अंदर कोई निर्णय नहीं लेता है

तो कुलाधिपति को वह मामला निर्देशित करेगा और उस पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।

(6) कुलपति वैसे अधिकार और दायित्वों का पालन करेगा जो परिनियम और अध्यादेश द्वारा विहित किये जायें।

(7) यदि किसी अभ्यावेदन अथवा अन्य कारण से यह परिस्थिति उत्पन्न हो कि कुलपति का बरकरार रहना विश्वविद्यालय हित में नहीं है तो कुलाधिपति ऐसी जाँच, जो आवश्यक समझे, के उपरान्त कुलपति को लिखित सकारण आदेश द्वारा उक्त आदेश में वर्णित तिथि से पदत्याग करने का आग्रह करेगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कार्रवाई करने के पूर्व कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

18 कुलसचिव।- (1) कुलसचिव की नियुक्ति प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष द्वारा परिनियम द्वारा यथा विहित रीति से की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय की तरफ से सभी संविदा, सभी दस्तावेज और अभिलेख कुलसचिव द्वारा अभिप्रमाणित होगा।

(3) कुलसचिव शासी निकाय, प्रबंधन परिषद् एवं विद्वत परिषद् का सदस्य सचिव होगा किन्तु उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) कुलसचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और दायित्व का निर्वहन करेगा जो परिनियम के द्वारा विहित किये गये हों।

19 मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी।- (1) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा परिनियम द्वारा यथा विहित रीति से की जायेगी।

(2) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी वैसे अधिकार एवं दायित्व का पालन करेगा जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें।

20 अन्य पदाधिकारी।- (1) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा जो उसके कार्य के सम्पादन के लिए आवश्यक हो तथा जो उसरूप में विश्वविद्यालय परिनियम द्वारा घोषित हों।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं उनकी शक्ति और अन्य कार्य वही होंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये गये हों।

21 विश्वविद्यालय के प्राधिकार।- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे; यथा-

(1) शासी निकाय;

(2) प्रबंधन समिति;

(3) विद्वत परिषद्;

(4) ऐसे अन्य प्राधिकार, जो विश्वविद्यालय के परिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार के रूप में घोषित हों।

22 शासी निकाय।- (1) विश्वविद्यालय के शासी निकाय निम्नलिखित को मिलाकर होगा; यथा:-

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नाम निर्दिष्ट पाँच व्यक्ति जिसमें दो प्रख्यात शिक्षाविद हों;

(घ) कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय के बाहर से नाम निर्दिष्ट एक प्रबंधन या संचार तकनीक का विशेषज्ञ;

(ड.) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक वित्त विशेषज्ञ।

(2) शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकार होगा। विश्वविद्यालय की सभी

चल एवं अचल संपत्ति शासी निकाय में निहित होगी। इसे निम्नलिखित की शक्तियाँ होगी, यथा।

(क) इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, विनियम या नियम के अधीन उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने और विश्वविद्यालय के कार्यों को नियंत्रित करने हेतु सामान्य अधीक्षण एवं निर्देश देने;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकार के निर्णय, अगर वह इस अधिनियम या परिनियम, अध्यादेश, विनियम या नियम के अनुरूप नहीं है, का पुनर्विलोकन करने;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट एवं वार्षिक प्रतिवेदन को अनुमोदित करने;

(घ) विश्वविद्यालय के अनुपालन हेतु व्यापक नीति निर्धारित करने;

(ड.) विश्वविद्यालय के प्रायोजक निकाय को विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक विघटन की अनुशंसा करने यदि सभी प्रयासों के बाद भी ऐसी परिस्थिति हो जब विश्वविद्यालय का क्रियाकलाप सही रूप से संचालित करना संभव नहीं रह गया हो;

(च) अन्य शक्तियाँ जो परिनियमों के द्वारा जो विहित की जाय।

(3) शासी निकाय कैलेंडर वर्ष में कम-से-कम तीन बार बैठक करेगी।

(4) शासी निकाय के बैठक हेतु गणपूर्त्ति चार से होगी।

23 प्रबंधन पर्षद्।- (1) प्रबंधन पर्षद् का गठन निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर होगा;

(क) कुलपति;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नाम निर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नाम निर्दिष्ट वैसे तीन व्यक्ति जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है;

(घ) शिक्षकों के बीच से प्रायोजक निकाय द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन व्यक्ति;

(ड.) कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक।

(2) कुलपति प्रबंधन पर्षद् का अध्यक्ष होगा।

(3) प्रबंधन पर्षद् की शक्ति और कार्य वही होंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये गये हों।

(4) प्रबंधन पर्षद् दो महीनें में एक बार बैठक करेगी।

(5) प्रबंधन पर्षद् की गणपूर्त्ति पाँच से होगी।

24 विद्वत परिषद्।- (1) विद्वत परिषद् में कुलपति एवं ऐसे अन्य सदस्य होगें जो परिनियम द्वारा विहित किये गये हो;

(2) कुलपति विद्वत परिषद् का अध्यक्ष होगा।

(3) विद्वत परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा और इस अधिनियम, नियम, परिनियम या अध्यादेश के अधीन विश्वविद्यालय के शैक्षणिक नीति का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।

(4) विद्वत परिषद् की बैठक हेतु गणपूर्त्ति वही होगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाय।

25 अन्य प्राधिकार।- विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकार की संचरना, गठन, शक्ति एवं कार्य वही होंगे जो परिनियम के द्वारा विहित किये जायें।

26 प्राधिकार या अन्य निकाय की सदस्यता हेतु अयोग्यता।- विश्वविद्यालय के प्राधिकार या निकाय के सदस्य होने के लिए कोई व्यक्ति अयोग्य होगा, यदि -

(क) वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और सक्षम न्यायालय द्वारा इस आशय की घोषणा की गयी हों;

(ख) वह अनुनमोचित दिवालिया हो;

(ग) वह नैतिक अधमता के सदर्भ में अपराध के लिए दोष सिद्ध हो;

(घ) वह निजी कोचिंग क्लासेज संचालित करता हो या उसमें संलिप्त हो, या

(ड.) वह किसी परीक्षा में कदाचार के प्रोत्साहन में शामिल होने के लिए किसी रूप में या कहीं भी दंडित किया गया हो ।

27 रिक्तता के कारण विश्वविद्यालय के प्राधिकार की कारवाई।– विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार या निकाय का कोई भी कार्य या कारवाई केवल उनके गठन में त्रुटि या रिक्तता के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

28 आकस्मिक रिक्ति का भरना।– विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार या निकाय के सदस्य की रिक्ति मृत्यु, पदत्याग या हटाने या उनके सामर्थ्य में परिवर्तन, जिसमें वह नियुक्त या नाम निर्दिष्ट हुआ था, यथासंभव शीघ्रता से वैसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरा जायेगा जिसने उक्त सदस्य को नियुक्त या नाम निर्दिष्ट किया था;

परन्तु विश्वविद्यालय के प्राधिकार या निकाय में आकस्मिक रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त या नाम निर्दिष्ट सदस्य, जिस सदस्य के बदले में नियुक्त या नामनिर्दिष्ट हुआ है, उसकी अवशेष अवधि के लिए होगा।

29 समिति।– विश्वविद्यालय के प्राधिकार या अधिकारी ऐसी समितियों का गठन ऐसी शर्त्तो के अधीन कर सकेंगे जो किसी विशिष्ट कार्य के अनुपालन हेतु आवश्यक हो। ऐसी समितियों का गठन और उनके कर्त्तव्य वही होगें जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें।

30 प्रथम परिनियम।- (1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियम के प्रावधानों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी के लिए प्रावधान कर सकेगा:–

(क) समय-समय पर गठित होने वाले विश्वविद्यालय के प्राधिकार एवं अन्य निकाय के गठन, उनकी शक्ति एवं कार्य;

(ख) कुलपति की नियुक्ति की शर्त्त एवं उनके शक्ति और कार्य;

(ग) कुलसचिव एवं मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति, शर्त्ते और उनके शक्ति एवं कार्य;

(घ) अन्य अधिकारी एवं शिक्षक की नियुक्ति की रीति, शर्त्ते और उनकी शक्ति एवं कार्य;

(ड.) विश्वविद्यालय के कर्मियों की सेवा-शर्त्ते;

(च) पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थियों के बीच विवाद में मध्यस्थता की प्रक्रिया;

(छ) मानद उपाधि प्रदान करना;

(ज) नामांकन हेतु नीति का प्रावधान करना जिसमें स्थान के आरक्षण को विनियमित करना सन्निहित हो;

(झ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थान की संख्या के संबंध में प्रावधान।

(2) विश्वविद्यालय का पहला परिनियम शासी निकाय द्वारा बनाया जायगा और राज्य सरकार की सहमति के लिए समर्पित किया जायगा।

(3) राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा समर्पित प्रथम परिनियम पर विचार करेगी और प्राप्ति के दो माह के भीतर वैसे उपांतरणों के साथ, जो आवश्यक प्रतीत हों, अनुमोदित करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रथम परिनियम के अनुमोदन के बाद विश्वविद्यालय अपनी सहमति सम्प्रेषित करेगा और यदि राज्य सरकार के द्वारा किये गये उपांतरणों में से सभी या किसी उपांतरण को क्रियान्वित करने की अनिच्छा व्यक्त करे तो वह उसका कारण देगा और राज्य सरकार के विचारण के उपरान्त विश्वविद्यालय के सुझाव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।

(5) राज्य सरकार अंतिम रूप से अनुमोदित प्रथम परिनियम को राजपत्र में प्रकाशित करेगी और उसके उपरान्त प्रथम परिनियम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

31 उत्तरवर्ती परिनियम।– (1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियम के प्रावधानों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का उत्तरवर्ती परिनियम निम्नलिखित में से सभी या किसी विषय के लिए प्रावधान कर सकेगा।

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकार का सृजन;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकार में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व;

(घ) नये विभाग का सृजन और विद्यमान विभाग का उन्मूलन और पुनर्गठन;

(ड़) पदक एवं पुरस्कार को संस्थित करना;

(च) पदसृजन एवं पद समाप्ति की प्रक्रिया;

(छ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थान एवं संख्या का परिवर्त्तन;

(ज) अन्य सभी मामले, जो इस अधिनियम के अधीन परिनियम द्वारा विहित किये जाय;

(2) प्रथम परिनियम के अलावा विश्वविद्यालय का परिनियम, प्रबंधन पर्षद्, शासी निकाय की सहमति से बनायेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन बनाये गये परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु भेजे जायेंगे। राज्य सरकार उसे अनुमोदित करेगी या आवश्यक समझेगी तो उसमें परिवर्तन हेतु सुझाव, परिनियम प्राप्ति के दो माह के भीतर देगी।

(4) शासी निकाय, राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये उपांतरण पर विचार करेगा और राज्य सरकार को उसमें परिवर्त्तन की सहमति के साथ या राज्य सरकार के सुझाव पर अपनी टिप्पणी के साथ वापस करेगी।

(5) राज्य सरकार शासी निकाय की टिप्पणी पर विचार करेगी और परिनियम को उपांतरणों के साथ या उसके बिना अनुमोदित करेगी उसके बाद राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित परिनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा और प्रकाशन के साथ ही परिनियम प्रवृत्त होगा।

32 प्रथम अध्यादेश।– (1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियम या परिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश निम्नलिखित में से सभी या किसी विषय के लिए प्रावधान कर सकेगा:–

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश और उनका नामांकन एवं प्रविष्टि;

(ख) विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के लिए पाठ्यक्रम अधिकथित करना ;

(ग) डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान करने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और उसे प्रदान करने और ग्रहण करने का माध्यम;

(घ) अध्ययनवृत्ति, छात्रवृत्ति और वृत्तिका पदक एवं पुरस्कार के प्रदान करने हेतु शर्त्ते;

(ड़) परीक्षा का संचालन जिसमें कार्यालय का कार्यकाल और परीक्षक, अनुसीमय (माडरेटर) परीक्षा निकाय की नियुक्ति की रीति और उनके कर्त्तव्य निहित होंगे ।

(च) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवासन की शर्त्ते ।

(छ) विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनिक कारवाई का प्रावधान;

(ज) किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कार्य, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक प्रतीत हों;

(झ) अन्य विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के संस्थानों के साथ सहकार एवं सहयोग की रीति;

(ञ) अन्य सभी विषय, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियम द्वारा अध्यादेश के अधीन प्रावधान करने की आवश्यकता हो;

(2) विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश, कुलपति द्वारा, प्रबंधन-पर्षद् की सहमति से, राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु समर्पित की जायगी।

(3) राज्य सरकार उपधारा (2) के अधीन कुलपति द्वारा समर्पित प्रथम अध्यादेश पर विचार करेगी और उसकी प्राप्ति के दो माह के भीतर उसे अनुमोदित करेगी या उसमें उपांतरण हेतु सुझाव देगी।

(4) कुलपति राज्य सरकार द्वारा दिये गये परामर्श को अध्यादेश में सम्मिलित करेगा या राज्य सरकार द्वारा दिये गये परामर्श को अध्यादेश में सम्मिलित नहीं करने का कारण देगा और प्रथम अध्यादेश को उन कारणों के साथ राज्य सरकार को वापस करेगा और राज्य सरकार, कुलपति की टिप्पणी पर विचार करेगी और विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश को उपांतरण के साथ या बिना, अनुमोदित करेगी उसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा और प्रकाशन के उपरान्त अध्यादेश प्रवृत्त होगा।

33 उत्तरवर्ती अध्यादेश।-(1) प्रथम अध्यादेश से भिन्न सभी अध्यादेश विद्वत् परिषद् द्वारा जारी किए जायेंगे जो प्रबंधन पर्षद द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन विद्वत् परिषद् द्वारा प्रस्तुत अध्यादेशों पर राज्य सरकार उनकी प्राप्ति की तिथि से दो महीने के भीतर विचार करेगी और उन्हें अनुमोदित करेगी अथवा उनमें उपांतरणों के लिए सुझाव देगी।

(3) विद्वत् परिषद् या तो राज्य सरकार के सुझाव को सम्मिलित कर अध्यादेशों में परिवर्त्तन करेगी अथवा राज्य सरकार द्वारा दिए गए सुझावों को सम्मिलित नहीं करने का कारण देगी और ऐसे कारण, यदि कोई हों, के साथ अध्यादेश राज्य सरकार को वापस कर देगी तथा उसकी प्राप्ति पर राज्य सरकार विद्वत् परिषद् की टिप्पणियों पर विचार करेगी तथा उपांतरण सहित अथवा रहित अध्यादेशों को अनुमोदित करेगी और तब राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जायगा और ऐसे प्रकाशन के पश्चात् अध्यादेश प्रवृत्त होंगे।

34 विनियम।- विश्वविद्यालय के प्राधिकार प्रबंधन समिति की पूर्वानुमति से इस अधिनियम और नियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियम और अध्यादेश के अनुरूप अपने कार्य और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन हेतु विनियम बना सकेगा।

35 नामांकन।- (1) विश्वविद्यालय में नामांकन सर्वथा मेधा के आधार पर होगा:

परन्तु अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रशासित विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक कोटा को भरने के प्रयोजनार्थ योग्यता के निर्धारण के लिए विचार का क्षेत्र केवल संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बद्ध विद्यार्थियों तक ही सीमित होगा।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों अथवा ग्रेड और पाठ्यक्रमेतर एवं पाठ्येतर गतिविधियों की उपलब्धियों के आधार पर निर्धारित की जा सकेगी अथवा राज्य स्तर पर या तो विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा जो उसी प्रकार के पाठ्यक्रम चलाते हैं अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों अथवा ग्रेड के आधार पर:

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकन केवल प्रवेश परीक्षा द्वारा ही लिया जाएगा।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बद्ध विद्यार्थियों

एवं महिलाओं और विकलांग विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु स्थान राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित होगा।

36 शुल्क संरचना।- (1) विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी फीस संरचना तैयार करेगा और धारा-29 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन इस प्रयोजनार्थ गठित समिति को अनुमोदन के लिए उसे भेजेगा।

(2) फीस संरचना में इस बात का आवश्यक रूप से उल्लेख होगा कि 25 प्रतिशत विद्यार्थी जो कि बिहार राज्य का अधिवासी हों और अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का सदस्य हो उनके लिए योग्यता-सह-साधन के आधार पर निम्न प्रावधान होगा

(i) 25 प्रतिशत का एक पांचवां हिस्सा को फीस में शत प्रतिशत की छूट रहे;

(ii) 25 प्रतिशत का दो पांचवां हिस्सा को फीस में 50 प्रतिशत की छूट रहे;

(iii) 25 प्रतिशत का दो पांचवां हिस्सा को फीस में 25 प्रतिशत की छूट रहे।

(3) समिति विश्वविद्यालय द्वारा तैयार शुल्क संरचना पर विचार करेगी और अगर वह संतुष्ट हो कि प्रस्तावित फीसः

(क) पर्याप्त है :-

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु; और

(ii) विश्वविद्यालय के अग्रतर विकास के लिए अपेक्षित बचत हेतु।

(ख) उससे अयुक्तियुक्त और अत्यधिक नहीं है, तो वह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन समिति द्वारा अनुमोदित फीस संरचना तीन वर्षों तक प्रवृत्त रहेगी और विश्वविद्यालय ऐसी फीस संरचना के अनुसार शुल्क प्रभारित करने का हकदार होगा।

(5) विश्वविद्यालय उपधारा (4) के अधीन हकदार फीस से भिन्न कोई अन्य शुल्क, चाहे यह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, प्रभारित करने का अधिकारी नहीं होगा।

(6) समिति के द्वारा विश्वविद्यालय के फीस संरचना पर निर्णय लेते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह व्यवस्था मुनाफाखोरी के लिए न हो जाय। समिति किसी भी स्थिति में कैपिटेशन फीस निर्धारित नहीं करेगी।

(7) विश्वविद्यालय फीस संरचना को राज्य सरकार को संसूचित करेगा । राज्य सरकार इसके लिए सक्षम होगी कि वह सुनिश्चित कर सके कि निर्धारित फीस मुनाफाखोरी या कैपिटेशन फीस को बढ़ावा नहीं दे ।

37 परीक्षा।- प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में और किसी भी दशा में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 30 अगस्त के अपश्चात् विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए, यथास्थिति, सेमेस्टर-वार अथवा वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी को तैयार कर उसे प्रकाशित करेगा और सख्ती से समय-सारणी का पालन करेगा।

स्पष्टीकरण- "परीक्षा की समय-सारणी" से अभिप्रेत है ऐसी सारणी जिसमें प्रत्येक पत्र, जो परीक्षा प्रणाली का भाग है, के प्रारंभ होने का समय, दिन और तिथि दिया हुआ हो और इसमें प्रायोगिक परीक्षाओं का ब्यौरा सम्मिलित हों:

परन्तु यदि किसी भी कारण से विश्वविद्यालय समय-सारणी को लागू करने में असमर्थ रहता है तो वह यथासाध्य शीघ्रता से राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रकाशित समय-सारणी से अलग होने के कारणों के ब्यौरे समाविष्ट होंगे। तत्पश्चात् सरकार ऐसा निदेश दे सकेगी जो भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए वह उचित समझे।

38 परीक्षाफल की घोषणा।- (1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा का

परीक्षाफल उस विशेष पाठ्यक्रम की परीक्षा की अंतिम तिथि से 30 दिनों के भीतर घोषित करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में परीक्षाफल उस तिथि से 45 दिनों के भीतर अंतिम रूप से घोषित कर देगा:

परन्तु यदि किसी भी कारण से विश्वविद्यालय किसी परीक्षा का परीक्षाफल 45 दिनों की उपर्युक्त अवधि के भीतर अंतिम रूप से घोषित करने में असमर्थ रहता है तो वह राज्य सरकार को विस्तृत कारण बताते हुए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार ऐसा निदेश दे सकेगी जो भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए वह उचित समझे।

(2) कोई परीक्षा अथवा परीक्षा का कोई परीक्षाफल उन कारणों से अविधिमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि विश्वविद्यालय ने धारा-37 अथवा धारा-38 में यथा अनुबद्ध समय-सारणी का पालन नहीं किया है।

39 दीक्षांत समारोह।- विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह परिनियम द्वारा यथाविहित प्रक्रिया से डिग्री, डिप्लोमा और अन्य प्रयोजन हेतु प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में आयोजित किया जायेगा।

40 विश्वविद्यालय का प्रमाणन।- स्थापना के तीन वर्षो के भीतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रमाणन परिषद (NAAC), बैंगलुरू से प्रमाणन प्राप्त कर प्रमाणन कोटि की सूचना सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा पढ़ाए जानेवाले पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध नियामक निकायों को देगा। प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर विश्वविद्यालय को ऐसे प्रमाणन का नवीकरण कराना होगा।

41 नियामक निकायों के नियमों, विनियमों एवं मानकों आदि का विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन।- इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के लिए नियामक निकायों के नियमों, विनियमों एवं मानकों का पालन करना बाध्यकारी होगा एवं उसे नियामक निकायों को कर्त्तव्यों और कार्य कलापों के परिचालन हेतु अपेक्षित सुविधाएँ एवं सहायता देनी होंगी।

42 वार्षिक प्रतिवेदन।- (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबंधक मण्डल द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के अलावा अपने उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख होगा और शासी निकाय की स्वीकृति प्राप्त कर इसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत करनी होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियाँ कुलाध्यक्ष एवं सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी।

43 वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण।- (1) विश्वविद्यालय का तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखा प्रबंधक मंडल के निदेशों के अधीन तैयार किया जाएगा और इस वार्षिक लेखा को इस निमित्त विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा वर्ष में कम-से-कम एक बार अंकेक्षित किया जाएगा।

(2) वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन सहित प्रबंधक मण्डल को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) प्रबंधक मंडल की टिप्पणी सहित वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार वार्षिक लेखा एवं तुलन-पत्र की प्रतियाँ कुलाध्यक्ष एवं राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। विश्वविद्यालय के लेखा एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन से उत्पन्न सरकार या कुलाध्यक्ष के परामर्श, यदि कुछ हों, शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। शासी निकाय समुचित निदेश जारी करेगा और उसके अनुपालन की सूचना कुलाध्यक्ष या सरकार को स्थिति के अनुसार दी जाएगी।

44 विश्वविद्यालय निरीक्षण के राज्य सरकार की शक्तियाँ।- (1) विश्वविद्यालय में शिक्षण,

परीक्षण और शोध संबंधी मानक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से या विश्वविद्यालय से संबंधित किन्हीं अन्य विषयों में, कुलपति से परामर्श के पश्चात्, सरकार यथा विहित रीति से, यथोचित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मूल्यांकन करा सकती है।

(2) ऐसे मूल्यांकन के फलस्वरूप अपनी अनुशंसाएँ सरकार विश्वविद्यालय को सुधार कार्य हेतु संप्रेषित करेगी। विश्वविद्यालय ऐसे सुधारात्मक उपाय करेगा और अनुशंसाओं के अनुपालन हेतु प्रयास करेगा।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) के अधीन की गई अनुशंसाओं का अनुपालन समुचित अवधि में करने में असफल रहता है तो राज्य सरकार ऐसी अनुशंसाओं के यथोचित अनुपालन के लिए निदेश दे सकेगी।

45 प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन।– (1) विहित रूप से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, छात्रों और सरकार को एक वर्ष पूर्व सूचना देकर प्रायोजक निकाय विश्वविद्यालय को विघटित कर सकेगा :

परंतु विश्वविद्यालय का विघटन सिर्फ तभी प्रभावी होगा जब नियमित पाठ्यक्रम का अंतिम छात्र समूह अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेगा और उन्हें यथोचित, उपाधि, डिप्लोमा, पुरस्कार आदि प्रदान कर दिए जाएँगे।

(2) विश्वविद्यालय विघटित होने पर विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ एवं दायित्व प्रायोजक निकाय की होंगी।

46 कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाॅ ।– (1) यदि सरकार को प्रतीत हो कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियम, परिनियम या अध्यादेशों के प्रतिकूल कार्य किया है या धारा-5 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त वचनबद्धता का उल्लंघन किया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंधन या कुशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो यह विश्वविद्यालय को पैंतालीस दिन के भीतर कारण बताओ की सूचना जारी करेगी कि क्यों नहीं इसके परिसमापन का आदेश दिया जाए।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना पर विश्वविद्यालय का प्रत्युत्तर पाने पर सरकार प्रथम द्रष्टया संतुष्ट हो जाती है कि इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बने नियमों या परिनियमों के प्रतिकूल कार्य हुआ है या इस अधिनियम के अधीन दिए गए निदेशों का उल्लंघन हुआ है या धारा-5 की उपधारा (1) के अध्यधीन वचनबद्धता को पूरा नहीं किया गया है या वित्तीय कुप्रबंधन या कुशासन की स्थिति है तो यह, जैसा आवश्यक समझेगी जाँच का आदेश देगी।

(3) राज्य सरकार, उपधारा (2) के अन्तर्गत किसी जाँच के उद्देश्य से जाँच पदाधिकारी या पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी जो किन्हीं आरोपों की जाँच करेगा एवं जाँच प्रतिवेदन देगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जाँच पदाधिकारी/ पदाधिकारीगण को वही अधिकार होंगे जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निम्नलिखित विषयों में व्यवहार न्यायालय के होते हैं, यथा;

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करने, उपस्थित कराने और शपथ पर परीक्षण पूछताछ करने;

(ख) सबूत के रूप में प्रतिपाद्य अभिलेखों या अन्य सामग्रियाँ की खोज और उसकी प्रस्तुति की अपेक्षा करने;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की माँग और

(घ) कोई अन्य विषय जो विहित किये जायें।

(5) इस अधिनियम के अधीन जाँच कर रहे जाँच पदाधिकारी/ पदाधिकारीगण अपराध

प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-195 और भाग-26 के निमित्त एक व्यवहार न्यायालय माने जाएँगे।

(6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त पदाधिकारी या पदाधिकारियों का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि राज्य सरकार का समाधाान हो जाय कि इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के प्रावधानों के प्रतिकूल विश्वविद्यालय ने कार्य किया है या इस अधिनियम के अधीन निदेशों का उल्लंघन हुआ है या धारा-5 की उपधारा (1) के अधीन वचनबद्धता का अनुपालन नहीं हुआ है या और विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंधन या कुशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इनसे विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर पर संकट उत्पन्न हो गया है, तो यह विश्वविद्यालय के परिसमापन का आदेश देगी और इस हेतु एक प्रशासक नियुक्त करेगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक का इस अधिनियम के अध्यधीन प्रबंधन निकाय और शासी निकाय के सारे अधिकार और कर्त्तव्य होंगे। वह तब तक विश्वविद्यालय के कार्यो के संचालन करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रम का अंतिम छात्र समूह अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा और सम्मान आदि, यथास्थिति, प्रदान नहीं कर दिया जाता।

(8) नियमित पाठ्यक्रम के अंतिम छात्र समूह को यथास्थिति, उपाधि, डिप्लोमा या सम्मान प्रदान किए जाने के उपरान्त, प्रशासक इस आशय का प्रतिवेदन राज्य सरकार को देंगे।

(9) उपधारा (8) के अधीन, प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरान्त, राज्य सरकार राजपत्र मे, अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन का आदेश जारी करेगी और उक्त अधिसूचना की तिथि से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा और विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएँगी।

47 <u>नियम बनाने की शक्तियाँ ।</u>- (1) राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी।

(2) पूर्ववर्त्ती शक्तियों की व्यापकत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए ऐसे नियमों का उपबंध किया जा सकेगा, यथा-

(क) विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव की पद्धति और धारा-4 की उपधारा(1) के अधीन देय फीस;

(ख) धारा-4 की उपधारा (2) के अधीन परियोजना प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट होने वाले अन्य ब्यौरे;

(ग) धारा-46 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन विहित किए जानेवाले विषय;

(घ) अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित हों और जो विहित किये जायें।

(3) इस अधिनियम के अध्यधीन निर्मित सभी नियम, निर्मित होने के बाद, सभान्तर्गत राज्य विधान मंडल के समक्ष, जो चौदह दिनों से कम का न हो, इसमें एक सत्र या दो उत्तरवर्त्ती सत्र हों या इसके तत्काल बाद वाले सत्र में प्रस्तुत किए जाएँगे और विधान मंडल किसी नियम में यदि संशोधन करता है या संकल्प करता है कि ऐसे नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो ऐसे नियम, तत्पश्चात् संशोधित रूप में यथारूपेण प्रभावी या निष्प्रभावी रहेंगे। फिर भी ऐसे संशोधन या निष्प्रभावीकरण, इसके अध्यधीन पूर्व में किए गए कार्य की वैधता के पूर्वग्रह से अप्रभावी रहेंगे।

48 <u>कठिनाईयाँ दूर करने के अधिकार ।</u>- (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो तथा जो कठिनाई दूर करने के निमित्त आवश्यक एवं समीचीन हो।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के तत्काल बाद, राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

49 विवादों का निपटारा राज्य के न्यायालयों में होना।– इस अधिनियम के प्रावधानों के फलस्वरूप उत्पन्न सभी विवादों का निपटारा, बिहार राज्य में स्थित विधि न्यायालय द्वारा होगा।

50 अधिनियम का अधिभावी प्रभाव ।– इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियम, परिनियम एवं अध्यादेश विश्वविद्यालय संबंधी राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गयी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के विरूद्ध होते हुए भी प्रभावी होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

9 सितम्बर 2013

सं0 एल0जी0–1–11/2013/174/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 सितम्बर 2013 को अनुमत **बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The Bihar Private Universities Act, 2013
[Bihar Act 20, 2013]

AN

ACT

to provide for establishment and in corporation of private Universities in the State of Bihar for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

Preamble-Whereas it is expedient to provide for establishment and in corporation of Private Universities in the State of Bihar for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto;

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty Fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1 **Short title, extent and commencement**-(1)This Act may be called the Bihar Private Universities Act, 2013.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar

(3)It shall come into force at once.

2 **Definitions**-In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a)"AICTE" means All India Council of Technical Education

established under All India Council of Technical Education Act, 1987;

(b) "BBOSE" means Bihar Board of Open Schooling and Examination.

(c) "CSIR" means the Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, a funding agency of the Government of India;

(d)"DEC"means the Distance Education Council established under section 28 of Indira Gandhi National Open University Act, 1985; and Nalanda Open University, Bihar.

(e)"Distance Education" means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;

(f)"DST" means the Department of Science and Technology of the Government of India;

(g)"Employee" means a person appointed by the University to work in the University, colleges, institutions or study center sand includes teachers, officers (other than the Visitor) and other employees of the University;

(h) "Fee" means collection made by the University from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;

(i)"Government" means the State Government of Bihar;

(j) "Higher Education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;

(k) "Hostel" means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions or centers, maintained or recognized to be as such by the University;

(l)"ICAR" means the Indian Council of Agriculture Research, a society registered under the Societies Registration Act, 1860;

(m) "MCI" means Medical Councilof India, Delhi;

(n) "NAAC" means the National Council of Assessment and Accreditation, Bangalore

(o)"NCTE" means the National Councilof Teacher Education, Delhi;

(p)"off campus centre" means acentre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University's complement of facilities, faculty and staff;

(q)"PCI" means Pharmaceutical Council of India, Delhi;

(r) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(s)"Regulating body" means a body established by the Governmentof India for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education and Technical education, such as UGC, AICTE, NCTE, MCI, PCI, NAAC, ICAR, DEC, CSIR etc. and includes the State Government;

(t) "Rules" means the rules made under this Act;

(u) “Schedule” means the Schedule to this Act;

(v) "Sponsoring body" in relation to a University established under this Act means-

(i) a society registered under the Societies Registration Act, 1860;

or

(ii) any public trust registered under the Indian Trusts Act, 1882;

(w)"Statutes", "Ordinances" and "Regulations" mean respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under this Act ;

(x)"student of the University" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction duly recognised by the University, including a research degree;

(y)"study centre" means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;

(z)"teacher" means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any other form to the students for pursuing a course of study of the University, who is so designated under this Act.

(za)"UGC” means the University Grants Commission, established under the University Grants Commission Act, 1956;

(zb) "Private University" means a University established and incorporated under section 6 of this Act.

3 Objects of the University - Following shall be the objects of the

University, under this Act namely:-

(1) to provide instructions, teaching and training in Higher Education and make provisions for research, advancement and dissemination of knowledge;

(2) to create higher levels of intellectual abilities

(3) to establish state of the art facilities for education and training;

(4) to carry out teaching and research and offer continuing education programmes;

(5) to create centre so fex cellence for research and development and for sharing knowledge and its application;

(6) to establish campus in Bihar and to have study centers at different places within its jurisdiction;

(7)to establish examination centres;

(8)to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination, or any such other method;

(9) to ensure that the standard of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by AICTE, NCTE, UGC, MCI, Pharmacy Council, and other similar agency/ agencies established by the Government of India for regulation of Higher education and Technical education;

(10) to open study centers within its jurisdiction;

(11) to set up off campus centre within and out of the State, subject to the permission of the regulatory bodies under any law made by the Parliament and any regulation, rules etc. made by the regulating bodies;

(12) to pursue any other objective as may be approved by the Government.

4 **Submission of proposal for establishment of a University and its evaluation** - (1) An application containing the proposal and the project report to establish a University in private sector shall be made by the sponsoring body to the State Government, along with such fee as may be prescribed.

(2)The project report must contain the following particulars, namely:-

(a) the details of the sponsoring body alongwith the copies of its

registration certificate, constitution and bye-laws;

(b) the information regarding financial resources of the sponsoring body alongwith audited accounts for the past three years;

(c) the name, location and headquarters of the proposed University;

(d) the objectives of the University;

(e) the availability of land and details of buildings and infrastructure facilities, if already exist and details of land, building and other infrastructure proposed to be owned or created as required under the provisions of this Act;

(f) availability of academic facilities including teaching and non-teaching staff, if any, at the disposal of sponsoring body;

(g) the nature and the type of programmes of study and research proposed to be undertaken by the University and their relevance to the development goals and employment needs of the State and phasing of such programmes over the first five years with course-wise enrolment targets;

(h) the nature of facilities, courses of study and research proposed to be started;

(i) the experience and expertise in the concerned disciplines at the command of the sponsoring body;

(j) the details of plans for campus development such as construction of buildings, development of structural amenities and infrastructure facilities and procurement of equipment etc. to be under taken before the University starts functioning and phased programme for the first five years;

(k) the phased outlays of capital expenditure proposed for the next five years and its sources of finance;

(l) the scheme for mobilizing resources and the cost of capital thereto and the manner of repayment to such sources;

(m) the scheme for the generation of funds.

(n)the system proposed to be followed for selecting students for admission to the courses of study at the University;

(o) the system proposed to be followed for appointment of teachers and

other employees in the University;

(p) whether the University is desirous of taking up distance education programme. If so, details of study centres proposed to be started;

(q) whether the University proposes to undertakes ome programmes related to local needs. If so, the nature of specialized teaching, training or research activities to be undertaken by the University so as to fulfill this objective;

(r) whether the University proposes to start some programmes for the benefit of farmers, women and industries. If so, details there of may be given;

(s) details of play grounds and other facilities available or proposed to be created for games and sports and extra curricular activities like National Cadet Corps, National Service Scheme, Scouts and Guides etc;

(t) the arrangements proposed to be made for academic auditing;

(u) commitment to follow the norms of the regulating bodies;

(v) such other details as the sponsoring body may like to give;

(w) such other details as may be prescribed.

(x) Commitment to follow the Reservation policy of the Govt. of Bihar. In the matter of enrolment of students and appointment of teacher and non teaching employees.

(3)The Education Department, on receipt of the proposal and the project report for establishment of a University, shall constitute a committee consisting of :

(i) One Vice Chancellor of any of the State Universities,

(ii) An expert having at least five years of experience as Professor of a University, and

(iii) One Finance Member having five years of experience in the field of Public Finance, Institutional Finance, Government Account or Commercial Account to examine the proposal and the project report.

(4) The committee shall consider the proposal and the project report on the following grounds, namely: -

(a) financial liability soundness and assets of the sponsoring body and its ability to set up the infrastructure of the proposed University;

(b) background of the sponsoring body, that is to say, its expertise and experience in the field of education, its general reputation etc. and its commitment to follow the norms of the regulating bodies;

(c) potentiality of the courses proposed to be offered, that is to say, the courses are able to develop the human resources as per the requirements of contemporary demands, the courses have new features and include emerging branches of learning;

(5) The committee, while considering the proposal and the project report under sub-section(4), may call for such other information from the sponsoring body as it thinks proper for the purpose.

(6) The committee shall submit its report to the Education Department within a period of one month fromthe date of its constitution:

Provided that while computing the period of one month, the period commencing from the date on which requisition for any information under sub-section (5) is issued and ending on the date on which requisite information is submitted tothe committee shall be excluded.

5 **Issuance of the letter of intent and compliance report** - (1) After the receipt of the report of the committee constituted under section4, if the State Government is satisfied that it is advisable to establish the University, it may issue a letter of intent and ask the sponsoring body to-

(i) establish an endowment fund in accordance with the provisions of section 11 of this Act;

(ii) own a minimum of ten acres of land outside municipal area or 5 acres within municipal area, or such land as per norms of regulating body; if not already available;

(iii) construct a minimum of 10,000 square meters of covered space

(iv) purchase books and journals of atleast rupees 10 lacs or as per the norms of regulating bodies,whichever is higher, and give undertaking to invest within the first three years not less than rupees 50 lacs or as per the norms of regulating bodies, whichever is higher, on books, journals, computers, library networking and other facilities so as to make the library facilities adequate for contemporary teaching and research;

(v) purchase equipments, computers, furniture, other movable &

immovable assets and infrastructure facilities (other than buildings, referred to in clause(iii) above) worth rupees 20 lacs or as per the norms of regulating bodies, whichever is higher, and give undertaking to procure within the first five years equipments,computers,furniture,othermovable and immovable assets and infrastructure facilities(other than buildings, referred to in clause(iii) above) worth not less than rupees one crore or as per the norms of regulating bodies, whichever is higher;

(vi) give undertaking to appoint at least 1 Professor, 2 Readers and adequate number of Lecturers along with necessary supporting staff in each department or discipline to be started by the University or as per norms of the regulating body;

(vii) give undertaking to take up co-curricular activities like seminars, debates, quiz programmes and extracurricular activities like games, sports, National Service Scheme, National Cadet Corps, Scouts and Guides etc. for the benefit of students as per the norms laid down by the regulating bodies

(viii) give undertaking for establishment of provident fund and to take up welfare programmes for the employees of the University; and

(ix) fulfill such other conditions and provide such other information as may be prescribed by the University Grants Commission, All India Council for Technical Education or any other statutory body established by the law of the Union or State Government.

(2) The sponsoring body shall fulfil the requirements and conditions specified in sub-section(1) and shall report the compliance to the State Government within a maximum period of two year from the date of issue of the letter of intent.

(3) If the sponsoring body has failed to comply with the provisions of sub-section (1), its proposal submitted under section 4 shall stand rejected and the letter of intent issued under sub-section (1) shall be deemed to have been withdrawn.

6 **Establishment of the University** - The Government, if satisfied, after considering the compliance reportsubmitted under sub-section (2) of section 5 that the sponsoring body has complied with the provisions of

sub-section (1) of section 5, may, by a notification published in State gazette permit a private University to operate with such name, location, jurisdiction as may be specified in the Schedule.

7 **Incorporation of the University** - Every University established under section 6 shall be a body corporate by the name as specified in the schedule to the Act and shall have perpetual succession and a common seal. It shall have the power to acquire and hold property both movable and immovable and to make contract, and may sue and be sued by the said name..

8 **University to be self-financed -** The University shall be self financed and shall not been titled to receive any grant or other financial assistance from the State Government.

9 **Requirement of land** - No University shall be established unless the sponsoring body is in possession of –

(i) a minimum of 10 acres of land outside the municipal limits; or

(ii) a minimumof 5 acres of land within the municipal limits.

10 **No power to affiliate any college or institution -** The University shall not admit any college or institution to the Privilege of affiliation;

Provided the University shall be entitled to set up its own faculty/department/school of different subjects including Medical Science, Dental Science, Engineering etc.

11 **Endowment Fund**-(1)The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the University with minimum amount of, Rs 01 (one) crore.

(2) The Endowment Fund shall be used as security deposit to ensure that the University complies with the provisions of this Act and functions as per provisions of this Act, Statutes and Ordinances. The Government shall have the powers to forfeit in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the sponsoring body contravenes the provisions of this Act or Statutes, Ordinances, Regulations or rules made there under.

(3)Income from Endowment Fund may be utilised for development of infrastructure of the University but shall not be utilised to meet out the

recurring expenditure of the University.

(4) The amount of Endowment Fund shall be invested and kept invested until the dissolution of the University in long term securities issued or guaranteed by the State Government or deposited and kept deposited until the dissolution of the University in the interest bearing Personal Deposit account in Government Treasury .

(5)In case of investment in long term security, the certificates of the securities shall be kept in the safe custody of the State Government and in case of deposit in the interest bearing Personal Deposit accountin Government Treasury, deposit shall be made with the condition that the amount shall not be withdrawn without the permission of the State Government.

12 **General Fund**-Each University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:-

(a) fees and other charges received by the University;

(b) any contributions made by the sponsoring body;

(c) any income received from consultancy and other work undertaken by the University inpursuance of its objectives;

(d) trusts, bequests, donations, endowments and any other grants; and

(e) all other sums received by the University.

13 **Application of General Fund**-The General Fund shall be utilized for the following objects, namely:-

(a) for the repayment of debts including interest charges thereto incurred by the University for the purposes of this Act and the Statutes, Ordinances, Regulations and rules made thereunder;

(b) to upkeep of the assets of the University;

(c) for the payment of the cost of audit of the funds created under sections 11 and 12;

(d) for the meeting expenses of any suit or proceedings to which University is a party ;

(e) for the payment of salaries and allowances of the officers and employees of the University and members of the teaching and

research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to any such officers and employees, and members of the teaching and research staff as may be prescribed;

(f) for the payment of travelling and other allowances of the members of the Governing Body, the Board of Management, the Academic Council, and other authorities so declared under the Statutes of the University and of the members of any committee appointed by any of the authorities or by the Chairperson of the sponsoring body or the Vice-Chancellor, as the case may be, of the University in pursuance of any provision of this Act, or the Statutes, Ordinances, Regulations or rules made thereunder;

(g)for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistance ship and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the Statues, Ordinances, Regulations or rules made under the provisions of this Act;

(h) for the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provision soft his Actor the Statutes, Ordinances, Regulations or rules made thereunder;

(i) for the payment of cost of capital, not exceeding the prevailing bankrates of interest, incurred by the sponsoring body for setting up the University and the investments made therefor;

(j) for the payment of charges and expenditure relating to the consultancy work under taken by the University in pursuance of the provisions of this Act and the rules, Statutes or Ordinances made thereunder;

(k) for the payment of any other expenses including service fee payable to any organization charged with the responsibility of providing any specific service, including the managerial services to the University, on behalf of the sponsoring body, as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the University:

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in

excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without the prior approval of the Board of Management;

Provided further that the General Fund shall, for the objects specified under sub-clause (a), be applied with the prior approval of the Governing Body of the University.

14 **Officers of the University**-The following shall be the officers of the University, namely:-

(1) the Visitor;

(2) the Chancellor;

(3) the Vice-Chancellor;

(4) the Registrar;

(5) the Chief Finance and Accounts Officer;

(6) such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

15 **TheVisitors**-(1) An academician of eminence or Person having long standing experience in Administration or social work of recognition may be visitor of the University. The visitor shall be appointed by the Sponsoring Body.

(2) The Visitor shall, when present, preside at the convocation of the University for conferring degrees and diplomas.TheVisitor shall have the following powers, namely:-

(a) to call for any paper or information relating to the affairs of the University;

(b) on the basis of the information received by the Visitor, if he is satisfied that any order, proceeding, or decision taken by any authority of the University is not in conformity with the provisions of this Act or Statutes, Ordinances, Regulations and rules made thereunder, he may issue such directions as he may deem fit in the interest of the University and the directions so issued shall be complied with by the University.

16 **The Chancellor**-(1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years with the approval of the visitor by

following such procedure and on such terms and conditions as may be prescribed by the Statutes.

(2)The Chancellor shall be the head of the University.

(3)The Chancellor shall preside at the meetings of the Governing Body and shall, when the Visitor is not present, preside at the convocation of the University for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely:-

(a) to call for any information or record;

(b) to appoint the Vice-Chancellor;

(c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 17;

(d) such other powers as may be prescribed by the Statutes

17 **The Vice-Chancellor** - (1) The Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub-section (7), hold office for a term of three years:

Provided that, after expiry of the term of three years, a person shall be eligible for re-appointment for another termof three years:

Provided further that a Vice-Chancellor shall continue to hold the office even after expiry of his term till new Vice-Chancellor joins. However, in any case this period shall not exceed one year after re appointment;

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

(3)The Vice-Chancellor shall preside at the convocation of the University in the absence of both,the Visitor and the Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt

with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice- Chancellor then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final:

Provided further that where any such action taken by the Vice-Chancellor affects any person in the service of the University, such person shall been titled to prefer, within three months from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Board of Management and the Board of Management may confirm or modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(5) If, in the opinion of the Vice-Chancellor, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Actor Statutes, Ordinances, Regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of its decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.

(7) If, at any time upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants and if the continuance of theVice-Chancellor is not in the interests of the University, the Chancellor may, by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking an action under this sub section, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

18 The Registrar - (1) The appointment of the Registrar shall be made by the Chairperson of the sponsoring body in such manner, as may be prescribed by the Statutes.

(2) All contracts shall be signed and all documents and records shall be authenticated by the Registrar on behalf of the University.

(3) The Registrar shall be the Member Secretary of the Governing Body, the Board of Management and Academic Council but he shall not have a right to vote.

(4) The Registrar shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.

19 **The Chief Finance and Accounts Officer** - (1) The appointment of the Chief Finance and Accounts Officer shall be made by the Chancellor in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

20 **Other Officers**-(1) The University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning and declared as such by the Statute of the University.

(2) The manner of appointment of other officers of the University and their powers and functions shall be such as may be prescribed by the Statutes.

21 **Authorities of the University**-The following shall be the authorities of the University, namely:-

(1) the Governing Body;

(2) the Board of Management;

(3) the Academic Council;

(4) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

22 **The Governing Body**-(1) The Governing Body of the University shall consist of the following, namely:-

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) five persons nominated by the sponsoring body out of whom two shall be eminent educationists;

(d) one expert of management or information technology from outside

the University, nominated by the Chancellor; and

(e) one expert of finance, nominated by the Chancellor.

(2) The Governing Body shall be the supreme authority of the University. All the movable and immovable property of the University shall vest in the Governing Body. It shall have the following powers, namely:-

(a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act or the Statutes, Ordinances, Regulations or rules made thereunder;

(b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the Statutes, Ordinances, Regulations or rules made thereunder;

(c) to approve the budget and annual report of the University;

(d) to lay down the extensive policies to be followed by the University;

(e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible, inspite of all efforts;

(f) such other powers as may be prescribed by the Statutes.

(3) The Governing Body shall meet at least three times in a calendar year.

(4) The quorum for meetings of the Governing Body shall be four.

23 **The Board of Management**-(1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:-

(a) the Vice-Chancellor;

(b) two members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body;

(c) three persons, who are not the members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body;

(d) three persons from amongst the teachers, nominated by the sponsoring body;

(e) Two teachers, nominated by the Vice-Chancellor.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be prescribed by the Statutes.

(4) The Board of Management shall meet once in every two months.

(5) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

24 The Academic Council-(1) The Academic Council shall consist of theVice-Chancellor and such other members as may be prescribed by the Statutes.

(2)The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the rules, Statutes or Ordinances, made thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be prescribed by the Statutes.

25 Other Authorities - The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be prescribed by the Statutes.

26 Disqualification for membership of an authority or body - A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he/she-

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(b) is an undischarged insolvent;

(c) has been convicted of any offence involving moral turpitude;

(d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or

(e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

27 Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University - No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in

the constitution thereof.

28 Filling up of emergent vacancies - Any vacancies occurred in the membership of any authority or body of the University due to death, resignation or removal of a member or due to change of capacity in which he was appointed or nominated, shall be filled up a searly as possible by the person or the body who had appointed or nominated such a member:

Provided that the person appointed or nominated as a member of an authority or body of the University on an emergent vacancy, shall remain member of such authority or body for only the remaining period of the member, in whose place he is appointed or nominated.

29 Committees–The authorities or officers of the University may constitute such committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees. The constitution of such committees and their duties shall be such as may be prescribed by the Statutes.

30 The First Statutes-(1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the First Statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time;

(b) the terms and conditions of appointment of theVice-Chancellor and his powers and functions;

(c) the manner and terms and conditions of appointment of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;

(d) the manner and terms and conditions of appointment of other officers and teachers and their powers and functions;

(e) the terms and conditions of service of employees of the University;

(f) the procedure for arbitration in case of disputes between officers, teachers, employees and students;

(g) the conferment of honorary degrees;

(h) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;

(i) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The First Statutes of the University shall be made by the Governing Body and shall be submitted to the State Government for its approval.

(3) The State Government shall consider the First Statutes, submitted by the University and shall give its approval thereon within two months from the date of its receipt and with such modifications if any.

(4) The University shall communicate its agreement to the First Statutes as approved by the State Government, and if it desires not to give effect to any or all of the modifications made by the State Government under sub-section (3), it may give reasons there for and after considering such reason, the State Government may or may not accept the suggestions made by the University.

(5) The State Government shall publish the First Statutes, as finally approved by it, in the Official Gazette, and thereafter, the first Statutes shall come into force fromthe date of such publication.

31 **Subsequent Statutes**–(1) Subject to the provisions of this Act and the Rules made thereunder, the subsequent Statutes of the University may provide for all orany of the following matters, namely:-

(a) creation of new authorities of the University;

(b) accounting policy and financial procedure;

(c) representation of teachers in the authorities of the University;

(d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing department;

(e) institution of medals and prizes;

(f) creation of posts and procedure for abolition of posts;

(g) alteration of the number of seats in different syllabi; and

(h) all other matters which under the provisions of this Act are to be prescribed by the Statutes.

(2) The Statutes of the University other than the First Statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Statutes made under sub-section (2) shall be sent to the State

Government and the State Government may approve the mas such or, if it considers necessary, give suggestions for modifications in them within two months from the date of receipt of the Statutes:

(4) The Governing Body shall consider the modifications suggested by the State Government and return the Statutes to the State Government with its agreement to suchchanges or with its comments on the suggestions made by the State Government.

(5) The State Government shall consider the comments of the Governing Body and shall approve the Statutes with or without modifications and then the Statutes as finally approved by the State Government shall be published by it in the Official Gazette, and upon such publication the statutes shall come into force.

32 The First Ordinances-(1) Subject to the provisions of this Act or the rules or Statutes made thereunder, the First Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(d) the conditions for award of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(f) the conditions of residence ofthe students of the University;

(g) provision regarding disciplinary action against the students;

(h) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(i) the manner of co-operation and collaboration with other Universities

and institutions of higher education;

(j) all other matters which by this Actor Statutes made thereunder are required to be provided by the Ordinances.

(2) The First Ordinances of the University shall be made by the Vice-Chancellor which after being approved by the Board of Management, shall be submitted to the State Government for its approval.

(3) The State Government shall consider the First Ordinances submitted by the Vice-Chancellor under sub-section (2) within two months from the date of their receipt and shall either approve them or give suggestions for modifications therein;

(4) TheVice - Chancellor shall either modify the Ordinances incorporating the suggestion of the State Government or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the State Government and shall return the First Ordinances alongwith such reasons, if any, to the State Government and on receipt of the same, the State Government shall consider the comments of the Vice-Chancellor and shall approve the First Ordinances of the University with or without such modifications and then the First Ordinances, as approved by the State Government shall be published by the State Government in the Official Gazette and upon such publication the Ordinances shall come into force.

33 **Subsequent Ordinances**-(1) All Ordinances other than the First Ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management shall be submitted to the State Government for its approval.

(2) The State Government shall consider the Ordinances submitted by the Academic Council under sub-section (1) within two months from the date of their receipt and shall approve them or give suggestion for modifications therein;

(3) The Academic Council shall either modify the Ordinances icorporating the suggestion of the State Government reasons for not in corporating any of the suggestions made by the State Government and shall return the Ordinances along with such reason, if any, to the State

Government and on receipt of the same, the State Government shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the Ordinances with or without modifications and then the Ordinances, as approved by the State Government, shall be published by the State Government in the Official Gazette and upon such publication the Ordinances shall come into force.

34 **Regulations**-The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act and the rules, Statutes and the Ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and that of the committees appointed by them.

35 **Admissions**-(1) Admission in the University shall be made strictly on the basis of merit:

Provided that for the purpose of filling minority quotain the University established and administered by minority community, zone of consideration for determination of merit shall be limited only to the students belonging to that minority community.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by the University.

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the University of the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled tribes and other backward classes and women and handicapped students shall be reserved as per the policy of the State Government.

36 **Fee structure**-(1) The University may, from time to time, prepare its fee structure and send it for approval of the Committee constituted for the purpose under section 29 or any other law for the time being in force.

(2) This will necessarily include an arrangement wherein the fee structure for the twenty five percent of students who are domicile of Bihar and who belongs to SC, ST ,BC ,EBC, Women and Economically Weaker Section shall be based on merit-cum-means and be as follows :- (i) One fifth of twenty-five percent shall be granted full fee concession;

(ii) two fifth of the twenty five percent shall be granted fifty percent fee concession;

(iii) the balance two-fifth of the twenty five percent shall be granted twenty five percent fee concession.

(3)The Committee shall consider the fee structure prepared by the University and if it is satisfied that the proposed fee is-

(a) sufficient for-

(i) generating resources for meeting the recurring expenditure of the University; and

(ii) the savings required for the further development of the University; and

(b) not unreasonably excessive, it may approve the fee structure.

(4)The fee structure approved by the Committee under sub-section (3) shall remain in force for three years and the University shall be entitled to charge fees inaccordance with such fee structure.

(5) The University shall not charge any fee, by whatever name called, other than that for which it is entitled under sub-section (4).

(6) The Committee while deciding the fee structure of the University shall ensure that it does not lead to profiteering. The Committee in no case shall prescribe capitation fee.

(7) The University shall communicate prescribed fee structure to the State Government. The State Government shall be entitled to ensure that the prescribed fee does not entail profiteering or charging of capitation fee.

37 **Examination**- At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a semester wise or annual, as the case may be,

schedule of examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to the schedule.

Explanation.- "Schedule of Examination" means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a scheme of examinations and shall also include the details about the practical examinations:

Provided that if, for any reason whatsoever, University has been unable to follow this schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the State Government in corporating the detailed reasons for making a departure from the published schedule. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

38 **Declaration Of result**–(1)The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for that particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the aforesaid period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the State Government. The State Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the schedule as stipulated in section37or, as the case may be, in section 38.

39 **Convocation**–The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be prescribed by the Statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

40 **Accreditation of the University** -The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore within three years of its establishment and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with

the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University. The University shall get renewed such accreditation at an interval of every five years thereafter.

41 **University to follow rules, regulations, norms, etc. of the regulating bodies** - Notwithstanding any thing contained in this Act, the University shall be bound to comply all the rules, regulations, norms, etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

42 **AnnualReport**-(1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Visitor and the Government.

43 **Annual Accounts and Audit —** (1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by theUniversity for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts to get her with the audit report shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub section (1) shall also be presented to the Visitor and the State Government. The advice of the Government or the Visitor, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body. The Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance shall be reported to the

Visitor or the Government, as the case may be.

44 Powers of the State Government to inspect the University-(1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relatingtothe University, the Government may, after consultation with the Vice- Chancellor, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

(2) The Government shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action. The University shall adopt such corrective measures and make efforts so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the University has failed to comply with there commendation made under sub-section (2) within a reasonable time, the State Government may give such directions as it may deem fit for such compliance.

45 Dissolution ofthe University by the Sponsoring Body-(1) The Sponsoring Body may dissolve the University by giving a notice to the effect in the prescribed manner to the Government and the employees and the students of University at least one year in advance:

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body.

46 Special powers of the State Government in certain circumstances-(1) If it appears to the Government that the University has contravened any of the provisions of this Act or the rules, Statutes or Ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out any of the undertakings given under sub-section (1) of section 5 or a situation of financial mismanagement or mal-administration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty five days as to why an order of

its liquidation should not be made.

(2) If the Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a prima facie case of contravening all or any of the provisions of this Actor the Rules, Statutes or Ordinances made thereunder or of violating directions issued by it undert his Actor of ceasing to carry out the undertaking given under subsection (1) of section 5 or of financial mismanagement or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) The State Government shall, for the purposes of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

(4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Civil Procedure, Code 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;

(c) requisitioning any public record from any Court or office; and

(d) any other matter which may be prescribed.

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act shall be deemed to be a Civil Court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973;

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub-section (3), if the State Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act or the rules, Statutes or Ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it undert his Act or has ceased to carry out the undertakings given by it under sub-section (1) of section 5 or a situation of financial mismanagement and mal-administration has arisen in the Universitywhich threatens the academic standard of the University, it

shall make orders for liquidation of the University and appoint an administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subjected to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards as the case may be.

(8) After having been awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make are port to the effect to the State Government.

(9) On receipt of the report under sub-section (8), the State Government shall, by a notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification the University shall stand dissolved and all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body from such date.

47 **Power to make rules**-(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2)Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a)the manner of making proposal to establisha University and the fees payable under sub-section (1) ofsection 4;

(b) other particulars to be contained in the Project Report under subsection (2) of section 4;

(c) matter to be prescribed under clause(d) of sub-section(4) of section 46;

(d) other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.

(3)All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session

immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

48 **Power to remove difficulties**-(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not in consistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, shall be laid before the House of the State Legislature.

49 **Disputes to be settled in a Court in Bihar** - All disputes arising as a result of the provisions made in the Act shall be settled by a Court of law in the State of Bihar.

50 **The Act to have overriding effect -** The provisions of this Act and the Rules, Statutes, Ordinances made thereunder shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, for the time being in force, made by the State Legislature relating to Universities.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 708-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 वैशाख 1939 (श0)

(सं0 पटना 305) पटना, शुक्रवार, 21 अप्रील 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

21 अप्रील 2017

सं० एल०जी०–01–03/2017/61 लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 12 अप्रैल 2017 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम–9, 2017]

बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017

बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।– (1) यह अधिनियम बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

2. इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

3 यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 की धारा – 5 में संशोधन ।–

(1) बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा–5 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :–

''परंतु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजक निकाय को आशय पत्र में वर्णित अवधि में न्यूनतम पाँच हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल का निर्मित भवन/परिसर अस्थायी रूप से उपलब्ध होने की स्थिति में इस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं अन्य सभी शर्त्तों को पूरा करने की स्थिति में अधिनियम की धारा 6 के तहत विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।''

(2) बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा–5 की उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :–

''परंतु प्रायोजक निकाय द्वारा आशय पत्र में वर्णित समयावधि में प्रयास करने के बावजूद भी अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किए जाने में असफल रहने की स्थिति में राज्य सरकार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने की दो वर्षों की समयावधि को अधिकतम अगले दो वर्षों के लिए विस्तारित कर सकेगी।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।

---

21 अप्रील 2017

सं० **एल0जी0–01–03/2017/62 लेज**—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा **dated 12th April,** 2017 को अनुमत **बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 9,2017]

Bihar Private University (Amendment) Act, 2017

AN

ACT

To Amend Bihar Private Universities Act 2013.

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows :-

1. ***Short title, extent and commencement.—*** (1) This Act may be called Bihar Private University (Amendment) Act , 2017.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. ***Amendment in section 5 of Bihar Private University Act, 2013.—***

(1) the following proviso shall be added after clause (iii) of Sub section (1) of section 5 of The Bihar Private University Act, 2013.

"Provided that in case of availability of a temporary/lease building having constructed area of minimum 5000 Square meter fulfilling the all other requirements and conditions specified in sub section (1) of this section the state government may allow to operate Private University under section 6 of this Act. "

(2) the following proviso shall be added after sub section (2) of Section 5 of Bihar Private University Act, 2013.

"Provided that Where in spite of making efforts, sponsoring body has failed to submit compliance report during the time period mentioned in letter of intent, in that circumstances, the state government may extend the time period of two year for submission of compliance report for maximum next two years. "

By Order of the Governor of Bihar,
SURENDRA PRASAD SHARMA,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 305-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 वैशाख 1944 (श0)
(सं0 पटना 249) पटना, शुक्रवार, 29 अप्रील 2022

विधि विभाग

अधिसूचना
29 अप्रील 2022

सं० एल०जी०–01–22/2021–4062/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 28 अप्रैल, 2022 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 11, 2022]

बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021

बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम 20, 2013) में संशोधन करने के लिए अधिनियम

प्रस्तावनाः— राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने के उद्देश्य से बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 अधिनियमित है। इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 में निजी विश्वविद्यालय स्थापना हेतु निर्गत किए गए आशय पत्र में वर्णित शर्त्तों को अनुपालित करने की समय—सीमा निर्धारित है। राज्यहित में इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के परंतुक में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

इसलिए, भारत—गणराज्य के बहतरवे वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**—

(1) यह अधिनियम बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 01.04.2021 से प्रवृत होगा।

2. **बिहार अधिनियम 20, 2013 की धारा 5 का संशोधन** ।— बिहार अधिनियम 20, 2013 की धारा 5 की उप धारा (2) के परन्तुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

> ''परंतु प्रायोजक निकाय द्वारा आशय पत्र में वर्णित समयावधि में प्रयास करने के बावजूद भी अनुपालन प्रतिवेदन उचित कारणों से समर्पित किये जाने में असफल रहने की स्थिति में राज्य सरकार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने की अवधि को यथोचित अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी।''

उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

29 अप्रील 2022

सं० एल०जी०—01—22/2021—**4063/लेज**—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 अप्रील, 2022 को अनुमत **बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 11, 2022)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 11, 2022]

THE BIHAR PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2021

AN

ACT

To amend the The Bihar Private Universities Act 2013 (Bihar Act 20, 2013)

The Bihar Private Universities Act, 2013 has been enacted for establishment of Private Universities in the state of Bihar with the aim to provide access to quality higher education. Sub section (2) of section 5 of this Act deals with the provisions of time period fixed for the submission of compliance report against the letter of intent issued for establishment of a Private University. In the interest of the state, it is expedient to make amendments in the proviso of sub section (2) of section 5 of the Bihar State Private University Act, 2013.

Therefore, be it enacted by the legislature of the state of Bihar in the seventy second year of the Republic of India, as follows :-

1. ***Short title, extent and commencement.—***

(1) This Act may be called the Bihar Private Universities (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from 01.04.2021.

2. ***Amendment of Section 5 of Bihar Act 20, 2013***.—The Proviso of sub section (2) of section 5 of The Bihar Private Universities Act, 2013 (Bihar Act 20, 2013) shall be substituted by the following :-

" Provided that where in spite of making efforts, the sponsoring body has failed to submit compliance report during the time period mentioned in the letter of intent for valid reasons the state government may extend the time period for submission of compliance report for such period as deemed fit."

Umesh Kumar Sharma
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 249-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in